न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, जालोर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. संजय कुमार गुप्ता, आर.जे.एस.
(सेशन न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी प्रकरण संख्या : 01/2023
सी.आई.एस. संख्या : 169/2023
CNR No. : RJJL010015302023

छगनलाल पुत्र स्व. मांगीलाल, उम्र–31 वर्ष, निवासी–आखलिया हनुमान मंदिर की गली शास्त्री नगर, जालोर पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर (राज.)

–निगराकार

विरूद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जालोर
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल, निवासी–जैन दादावाड़ी के पीछे, जालोर
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र आसूराम, निवासी–गोडीजी मंदिर के पास, जालोर
4. छगनलाल पुत्र जीवाराम, निवासी–प्रताप चौक, जालोर
5. विनोद कुमार लालु पुत्र जीवाराम, निवासी–प्रताप चौक, जालोर
6. इन्द्र कुमार पुत्र धर्माराम, निवासी–शास्त्री नगर, जालोर
7. विकास कुमार उर्फ विजय कुमार पुत्र शंकरलाल, निवासी–एफसीआई गोदाम, रेलवे फाटक के पास, जालोर
8. महेन्द्र पुरी पुत्र रतनपुरी, निवासी–प्रताप चौक, जालोर
9. दूदाराराम पुत्र चुन्नीलाल, निवासी–शास्त्री नगर, जालोर
10. भंवरलाल पुत्र हिम्मताराम, निवासी–गोडीजी मंदिर के पास, जालोर

11. भगवानाराम पुत्र शंकरलाल, निवासी–एफसीआइ गोदाम के पास, जालोर
12. करण कुमार पुत्र गोकुलराम, निवासी–हनुमान नगर कॉलोनी, जालोर
13. नरपत कुमार पुत्र नाथूराम, निवासी–अपना बाजार के पास, तिलक द्वार के बाहर, जालोर
14. रमेश कुमार पुत्र गोपाराम, निवासी–गोडीजी, रामपुरा बजाज शोरूम के पास, जालोर तहसील व जिला जालोर
15. हडमन्त कुमार पुत्र कपूरजी, निवासी–राजेन्द्र नगर, जालोर
16. ललीत कुमार पुत्र जीवारम, निवासी–कस्तुरबा कॉलोनी, जालोर
17. चीकू पुत्र गिरधारीलाल, निवासी–शास्त्री नगर, जालोर

–गैर निगराकारान

फौजदारी निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 397 दं.प्र.सं. विरूद्ध आदेश दिनांकित 03.07.2023 पीठासीन अधिकारी डॉ. सरोज सींवर, 'आर.जे.एस.', मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर उनवान छगनलाल बनाम राजेन्द्र कुमार, परिवाद अस्वीकार कर खारिज

उपस्थित :–

1. श्री प्रवीण कुमार भादरू, विद्वान अधिवक्ता निगराकार की ओर से
2. अपर लोक अभियोजक, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से
3. गैर निगराकार संख्या 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14 बावजूद तामील अनुपस्थित
4. श्री सुशील कुमार, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से
5. श्री प्रवीण कुमार भादरू, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 4 की ओर से
6. श्री रामप्रकाश खबाणी, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 6, 7 की ओर से
7. श्री जितेन्द्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 9 की ओर से
8. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 11 की ओर से
9. श्री प्रवीण चौहान, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 15 की ओर से
10. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 16 की ओर से
11. श्री अशोक माली, विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 17 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक : 05.08.2026**

1. यह आपराधिक निगरानी श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय, जालोर के

न्यायालय में पेश हुई तत्पश्चात् दिनांक 13.09.2023 को इस न्यायालय में अंतरित होकर विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर दर्ज की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08.09.2023 को निगराकार ने विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर एक निगरानी प्रस्तुत की है कि निगराकार छगनलाल ने दिनांक 19.06.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. बाबत् प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके विवेचना के आदेशार्थ हेतु पेश किया जिसमें निगराकार ने निवेदन किया की वह सीधा–साधा कानून की पालन करने वाला नागरिक है। गैर निगराकारान सरकस गिरोहबंद तथा झगडालू, बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा विगत लम्बे समय से आरोपीगण निम्नाकिंत अधिनियम में निवर्णित प्रावधानों का बेखौफ उल्लंघन कर जानलेवा व परिवारों को नष्ट करने वाली सूदखोरी के गैर कानूनी व अवैध व्यवसाय में संलिप्त हैः–

1. The Marwar Relief of Indebtedness Act, 1941.
2. The Marwar Agriculturists Relief Act, 1942.
3. The Bundi Agriculturists Relief Act.
4. The Agricultural Relief Rules of the former Sirohi State.
5. The Bombay Agricultural Debtors Relif Act, 1947, in so far as it applies to the abu area and in so far as it extends to the Ajmer area.
6. The Madhya Bharat Agricultural Debtors Relief Act, 1956.
7. Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957.
8. The Rajasthan Money Launderin Act, 1963.

तथा निगराकार व गैर निगराकार के बीच दिनांक 28.12.2018 को निगराकार व उसके पिता की तिलक द्वार के अंदर स्थित दुकान गहलोत गारमेंट्स जालोर पर अवैध सूदखोरी के तहत वीसी चलाने के संबंध में दिन में करीब 2 बजे कहासुनी हो गई थी। दिनांक 29.12.2018 को 12 बजे दिन में गैर निगराकारान अपने कुछ साथियों व हथियार लेकर निगराकार के दुकान और बाद में घर पर आया और निगराकार को ललकारने लगा तथा ऊंची आवाज में भद्दी–भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकियां देने लगा तब शोर पर निगराकार घर के दरवाजे पर आया तो गैर निगराकारान फौजदारी आमादा हुए और जान से मारने की नियत से

निगराकार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। निगराकार बाल–बाल बच गया। गैर निगराकारान ने यह देखकर कि निगराकार अकेला घर में है। मौके का फायदा उठाकर जो कुछ भी हाथ में आया। उसी वस्तु यथा लकड़ी, प्लास्टिक के पाइप, लोहे की बाल्टी से निगराकार को मारना शुरू किया जिससे निगराकार के सिर, कमर, हाथ पसलियों में गम्भीर चोटें आई थी, शोर–शराबे व आसपडोस के लोगों को आता देखकर गैर निगराकारान घटनास्थल से आंईदा देख लेने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए और जाते–जाते धमकी दे गये की थाने में रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देगें। गैर निगराकारान से उसी दिन प्रार्थी 12.15 बजे दिन में किसी तरह अपनी जान बचाते हुए थाने पर आया। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी लेकिन थाने वालों ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया तथा निगराकार की चोट का डॉक्टरी मुआयना भी नही कराया। काफी देर तक थाने में रिपोर्ट लिखाने का इंतजार करता रहा लेकिन रिपोर्ट नही लिखी तब मजूबर होकर निगराकार उसी दिन दिनांक 19.12.2018 को समय 1 बजे जिला चिकित्सालय पर गया वहां समय पूरा हो जाने से कोई भी डयूटी डॉक्टर साहब मौके पर नहीं मिले, तब निगराकार ने आपातकालीन उपचार कक्ष में डयूटी पर उपलब्ध नर्सिंगकर्मी से अपने शरीर पर आई चोटों का उपचार कराया। फिर आकर सारी बात घर में अपने पिता मांगीलाल जी को बताई जिस पर निगराकार के पिता मांगीलाल जी ने एक लिखित रिपोर्ट संबंधित थाना अधिकारी को दिनांक 30.12.2018 को प्रस्तुत की जिस पर संबंधित थानाधिकारी के द्वारा आरोपियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, परन्तु इस बीच दिनांक 18.01.2019 को आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनके हौसले और बुलंद हो गए कि दिनांक 19 जनवरी 2019 को दोपहर करीब 2 बजे निगराकार जब पिता को तिलकद्वार के अंदर स्थित दुकान गहलोत गारमेंट्स, जालोर अकेला छोड़कर खाना खाने घर गया तो पीछे से आरोपी लाभबंध होकर जबरन दुकान में घुसकर निगराकार के पिता मांगीलाल जी के साथ हाथापाई करते हुए दुकान के गल्ले से सामान, नकदी, दुकान के जरूरी कागजात सहित पार्टियों को देने के लिए रखी निगराकार की हस्ताक्षरित चैक बुक अन्य कागजात लेकर भाग गए। तब मजबूर होकर निगराकार व उसके पिता मांगीलाल जी उसी दिन को समय 3.40 बजे पुनः घटित घटना की थाने रिपोर्ट लिखाने गए परन्तु पुलिसकर्मियों के

टालमटोल पूर्ण रवैरा के चलते 21 जनवरी 2019 को निगराकार व उसके पिता मांगीलाल जी ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जालोर को पेश होकर रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग की। परन्त आरोपियों की पुलिस से सांठ–गाठ एवं ऊंचे राजनैतिक रसूखात के कारण महीनों प्रतीक्षा करने पर मजबूरन निगराकार के पिता मांगीलाल जी निगराकार को साथ लेकर 03.09.2019 एक लिखित प्रार्थना पत्र लेकर श्रीमान राजस्थान पुलिस सर्कल जोधपुर के महानिरीक्षक महोदय को पेश हुए एवं उनको भी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जिस पर उन्होंने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधी इतने मजबूत हुए की। उन्होने निगराकार के विरूद्ध एक साथ कई झूठे मुकदमे दायर करवा दिए, जिससे सदमे के चलते प्रार्थी के पिता की हार्टअटेक से मुत्यु तक हो गई। परन्तु इसके बावजूद निगराकार ने हालातों से हार ना मानकर लगातार गैर निगराकारान के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही हेतु समय–समय पर रिपोर्ट दी जाती रही। परंतु गैर निगराकारान के पुलिस से मिलीभगत होने से एक भी रिपोर्ट पर आज दिन तक कोई भी सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं हुई और ना ही मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके चलते अब निगराकार इतना निराश हो चुका है या तो आत्महत्या कर ले या गैर निगराकारान के हाथों से अपनी जान गवा दें। सूदखोरी समाज की एक बहुत पुरानी जानलेवा समस्या रही है। इसी प्रकार से सन् 1963 में The rajasthan Mony Launderin Act, 1963 राजस्थान राज्य में प्रभावी किया गया। इस अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों से भी किराया वसूलने वाले व्यक्तियों तथा ऋण व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों पर कई प्रकार के अंकुश लगाये गये। यद्यपि प्रारम्भ से ही ऋण को पाप या बहुत ही बुरा समझा जाने के बावजूद हर समय में व्यक्ति ऋण के कारण से न सिर्फ परिवार की सुख–शान्ति बल्कि लगातार जान से भी हाथ धोते आ रहे हैं। राज्य आयोग द्वारा पूर्व में इन निजी व्यवहारों पर राजस्थान राज्य अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के नियम (घ) के तहत विचार करने से इन्कार किया जा रहा है। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया जी की पहल व प्रसंज्ञान के उपरान्त दर्ज प्रकरण/परिवाद 2018/17/3365 व अन्य में सूदखोरी के ऐसे प्रकरणों से सम्बन्धित इस विषय पर कानूनी प्रावधानों को किस प्रकार से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस पर विचार करने के लिए यह प्रकरण राजस्थान राज्य मानव अधिकार संरक्षण

अधिनियम 1993 की धारा 12 (घ) के तहत दर्ज किया जा रहा है। उपरोक्त अपराध The rajasthan Mony Launderin Act, 1963 विविध प्रावधानों एवं भारतीय दंड संहिता के विविध प्रावधानों तहत अत्यत गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध है। इस प्रकरण में साक्ष्य इकट्ठा करना है, वह पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। प्रार्थना–पत्र में दिये गये कथनों से प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति अपराध गैर निगराकान के विरूद्ध बनना प्रतीत होता है। निगराकार कानूनी उपेक्षा से जीवन से अत्यंत निराश व हताश हो चुका है व अब इच्छा मुत्यु या आत्महत्या को ही प्राकृतिक न्याय का अंतिम विकल्प मानने लगा है। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष वह न्याय एक अंतिम न्याय का अंतिम विकल्प मानने लगा है। श्रीमान के समक्ष वह न्याय की एक अंतिम उम्मीद की किरण मानकर उनके द्रवित मन की व्यथा लेकर उपस्थित हुआ है। इसके अतिरिक्त उसके पास अन्य और कोई विकल्प शेष नही बचा है तब वह माननीय न्यायलय की शरण में आया है।

3. निगरानी निम्न आधारों पर पेश की गई है– अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में तथ्यों की भूल के साथ साथ कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराकार द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये गये साक्ष्य सबूतों से परे जाकर निर्णय दिया है जो कानूनन अवैध होने से काबिले खारिज है। दिनांक 28.12.20218 को निगराकार और गैर निगराकारान के बीच में स्व. मांगीलाल की तिलक द्वार के अन्दर स्थित दुकान गहलोत गारमेंटस जालोर पर अवैध सूदखोरी के तहत वीसी चलाने को लेकर 2 बजे कहासुनी हुई थी और दिनांक 29.12.20218 को गैर निगराकारान द्वारा निगराकार की दुकान व घर में आकर ललकारने तथा भद्दी–भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकियां दी तथा निगराकार पर जानलेवा हमला किया और घर में पड़ी जो भी वस्तु या लकडी, प्लास्टिक के पाईप, लोहे की बाल्टी से मारपीट की जिससे निगराकार के सिर, कमर, हाथ व पसलियों पर गंभीर चोटें आई थी जिसकी रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली पुलिस थाना जालोर गया था मगर थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की थी और ना ही निगराकार का मेडिकल करवाया गया था। घर आकर निगराकार ने अपने पिता स्व. मांगीलाल को घटना की सारी बात बताई थी जिन्होंने दिनांक 30.12.2018 को पुलिस थाना कोतवाली जालोर में रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर दिनांक

21.01.2019 को पुलिस अधीक्षक महोदय जालोर तथा दिनांक 03.09.2019 को पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस सर्कल जोधपुर को पेश होकर पुलिस अधीक्षक जालोर को दी गई रिपोर्ट में कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया फिर भी पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 21.01.2019 को गैर निगराकारान संख्या–1, 16. 17 ने एकराय होकर उसके पिता की दुकान गहलोत गारमेंटस जालोर में आकर उसको धमकी दी कि या तो तुम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री जो उनके पास असल रजिस्ट्री है के आधार पर उनके हक में रजिस्ट्री करवा देना तथा उन्हें रूपये लाकर दे देना तो इस पर उसने कहा कि तुम्हें उन्होंने बड़ी भारी रकम दी फिर भी वे लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे है। इस प्रकार वे लोग उसे टॉर्चर करते रहे तथा उसके भाई जेठाराम को भी धमकाते रहे जिससे उन दोनों भाईयों का मानसिक संतुलन भी बिगड गया था जिससे लम्बे समय तक निगराकार घर से बाहर बदहवास की स्थिति में फिरता रहा जिससे समय पर अपने मुकदमे में आगे कार्यवाही नहीं कर पाया था। निगराकार के साथ गैर निगराकारान द्वारा बार–बार तंग व परेशान करने तथा मारपीट करने एवं झूठे मुकदमों में फंसाने के बार–बार कृत्य से निगराकार का पिता मांगीलाल सदमे में आ गया था तथा गैर निगराकारान संख्या 5 व 6 द्वारा दिनांक 06.07.2020 को उसके साथ मारपीट की थी जिस पर निगराकार के पिता स्वर्गीय मांगीलाल का 07.07.2020 को हार्टअटैक से मुत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा गैर निगराकार इन्द्र कुमार तथा विजय कुमार उर्फ विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किया था जिसका अनुसंन्धान मुख्य न्यायिक जालोर में सरकार बनाम इन्द्र कुमार वगैरा के अनवान से चल रहा है, जिसके मुकदमा संख्या 2076/2021 है। दिनांक 13.11.2019 को प्रार्थी के बैंक ऑफ बडौदा शाखा जालोर के खाता सख्या 32070100002284, सीडीकेन्ट बैंक शाखा जालोर के खाता संख्या 8380223015703, जालोर नागरिक सहकारी बैंक के खाता सख्या 14320, पंजाब नेशनल बैंक के खाता सख्या 6881000100033015, ऑरियन्टल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालोर के खाता संख्या 16722191015892 से सम्बन्धित चैक बुक निगराकार के नाम जारी की हुई थी जिसमें निगराकार के हस्ताक्षरित चैक थे तथा 2 स्टाम्प पेपर एक 500/– रू, 100/– रू. का हस्ताक्षरित किये हुए एक थैली में थे जिसे लेकर निगराकार

जालोर कचहरी में आ रहा था तब रास्ते में चैक और स्टाम्प की थैली गिर गयी थी जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 13.11.2019 को पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करवायी थी जिसके एल.पी.आर. नम्बर 97/2019 तथा रोजनामचा नंबर 55 है। उक्त सारा मामला मनीलॉन्ड्रिंग यानी सूदखोरी की धाराओं में दर्ज होना चाहिए था परन्तु पुलिस थाना कोतवाली द्वारा मुलजिमानों के साथ मिलावट कर निगराकार एवं निगराकार के पिता स्व. मांगीलाल जी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई जबकि पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में श्रीमती शशिकला सहायक उप निरीक्षक अनुसंधान अधिकारी जालोर ने अपने पत्रांक दिनांक 27.06.2023 को पेश की गई जांच रिपोर्ट में माना की कि निगराकार एवं गैर निगराकारान लम्बे समय से सूदखोरी का काम करते आ रहे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में माना कि निगराकार सहित 20–30 लोगो द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग का काम वीसी के जरिये लम्बे समय से किया जा रहा है जो सीधा–सीधा The rajasthan Mony Launderin Act, 1963 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित न कर कानूनी भूल की है। निगराकार को गैर निगराकारान द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग जैसे अपराध मे शामिल कर उससे कई कोरे हस्ताक्षरशुदा चैक डिपोजिट के लेकर उसके खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट में झूठे–झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर लगातार तंग व परेशान किया जा रहा है जबकि निगराकार से लिये गये सारे चैक सुदखोरी में वीसी में लगाने के लिए डिपोजिट के रूप में दिये गये चैक जो कि एनआई एक्ट में मुकदमे नहीं बनते है फिर भी गैर निगराकार द्वारा निगराकार को तंग व परेशान करने की नियत से एनआई एक्ट में चैक वाले मुकदमे लगाकर मानसिक व आर्थिक रूप से तंग व परेशान करने के लिए लगाये गये है जो कि सरासर झूठे व मनगढंत आधारों पर है जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कोई वर्णन नही किया गया है। The rajasthan Mony Launderin Act, 1963 द्वारा अवैध किराया वसूलने तथा सूदखोरी यानी ऋण व्यवसाय को करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने का काम किया मगर उक्त कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने से सूदखोरी यानी मनीलॉन्ड्रिंग में लिप्त अपराधियों के हौंसले बुलंद हो गये हैं जिससे आये दिन इस कारोबार से प्रताडित लोग आत्महत्या करने को मजबूर है और घरबार बेचकर सडक पर आ गये

है। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया की पहल व प्रसंज्ञान के उपरांत दर्ज प्रकरण संख्या–2018/17/3365 व अन्य में सूदखोरी के ऐसे मामलों से संबंधित विषयों पर कानूनी प्रावधानों को किस प्रकार से ओर प्रभावी बनाया जाये। इस पर विचार करने के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12(घ) में दर्ज किया गया था। निगराकार द्वारा दिनांक 28.12.20218 से लेकर दिनांक 19.06.2023 तक पुलिस में पेश की गई सभी रिपोर्ट अपने प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न करने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे न मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराकार को उसके प्रार्थना–पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं. में निगराकार को तुरंत किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की है जो कि कानूनी भूल है। गैर निगराकार संख्या–16, 17 को भूलवश अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया था जिसे यहां पर पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। प्रार्थी दिनांक 05.07.2023 से 02.09.2023 तक अपने भाई शंकरलाल के ब्रेन हेमरेज होने पर उसे गीतांजलि अस्पताल उदयपुर में ईलाज हेतु व्यस्त रहा तथा अपनी पत्नी के डिलवरी होने से सामाजिक कार्यों में व्यस्त होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2023 को पारित आदेश की जानकारी नहीं होने तथा दिनांक 02.09.2023 को नकले हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 05.09.2023 को नकले मिलने पर जानकारी होने से प्रार्थना–पत्र अन्दर म्याद शुमार फरमावें। अतः अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 को निरस्त कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को पुलिस थाना कोतवाली जालोर में धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत धारा 323, 341, 379, 420, 120 बी, 34 भा.दं.सं. तथा धारा 3, 56 तथा 57 मनीलॉन्ड्रिग एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. बहस निगरानी उभयपक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निगरानी याचिका स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने व आदेश दिनांक 03.07.2023 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया, जबकि अपर लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश को विधि व तथ्यों के अनुरूप बताते हुए उसकी पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की।

5. निगरानी पर उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि निगराकार/परिवादी द्वारा एक परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत संबंधित पुलिस थाना को भिजवाये जाने बाबत प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर द्वारा दिनांक 03.07.2023 को उक्त परिवाद को अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर परिवादी/निगराकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् यह माना है कि निगराकार ने गैर निगराकारान से अलग–अलग दिनांक को कभी 50 लाख रूपये, कभी 3 लाख रूपये तो कभी 5 लाख रूपये, तो कभी 20 लाख रूपये की राशि उधार प्राप्त की, लेकिन जब निगराकार द्वारा गैर निगराकार का भुगतान नहीं किया जा सकता तो श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर के समक्ष स्वयं को दीवालिया घोषित करवाये जाने हेतु दिनांक 27.07.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। स्वयं निगराकार ने उक्त प्रार्थना–पत्र ब्याज पर रूपये उधार लेने का अंकन किया हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा की इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रकृति का मामला माना है और यह मत प्रकट किया है कि मात्र दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए न्याय प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए यह परिवाद में प्रस्तुत किया गया है।

6. इस प्रकार न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए मामला सिविल प्रकृति का होना मानते हुए धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत परिवाद को प्रेषित नहीं कर तथा उक्त परिवाद को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का जो आदेश दिया है, वह विधिसम्मत् व युक्तियुक्त प्रतीत होता है, जिसमें कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होती है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुजांइश प्रतीत नहीं होने से विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश सम्पुष्ट किये जाने योग्य व निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अस्वीकार कर निरस्त किए जाने योग्य है।

–: <u>आ दे श</u> :–

निगरानीकार छगनलाल पुत्र स्व. मांगीलाल, उम्र–31 वर्ष, निवासी–आखलिया हनुमान मंदिर की गली शास्त्री नगर, जालोर पुलिस थाना कोतवाली, जिला जालोर (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह दांडिक निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर के आलौच्य आदेश दिनांकित 03.07.2023 की सम्पुष्टि की जाती है। आदेश की सत्यप्रतिलिपि, संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(डॉ. संजय कुमार गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जालोर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

PRAVEEN BAYAD
Authenticated document
Digitally signed by PRAVEEN BAYAD
Date: 2026.08.06 14:14:36 +0530

(डॉ. संजय कुमार गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जालोर